न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1662–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 126/05–06/अ–19(4).

.....

1–पंकजकुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री वेदप्रकाश शर्मा
2–अमित पुत्र स्व0श्री वेदप्रकाश शर्मा
निवासीगण बस स्टेण्ड कॉलेज चौराहा, पिछोर
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस.के.श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक

श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिछोर परगना पिछोर जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 1749/4, 1748 कुल रकवा 7 आरे भूमि आवेदक के दादाजी स्व0श्री हरीशंकर पुत्र रामदयाल सड़ैया के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, उक्त भूमि पर शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय के द्वारा कब्जा किये जाने पर स्व0श्री हरीशंकर के द्वारा शासकीय सर्वे कमांक 2114 रकवा 7

विस्वा भूमि स्थित ग्राम बाचरौन से अदला–बदली का आवेदन वर्ष 2006 में अवर सचिव राजस्व विभाग भोपाल को प्रस्तुत किया । शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी को भेजा । कलेक्टर द्वारा जॉच पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार पिछोर को जॉच हेतु निर्देश दिये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/05–06/अ–19(4) पर दर्ज किया जाकर विधिवत् जॉच की जाकर जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पिछोर को दिनांक 5–10–2010 को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिनांक 31–5–2011 को कलेक्टर जिला शिवपुरी को भेजा । प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी पिछोर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर अधीनस्थ कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में आवेदक के दादा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पारित आदेश दिनांक 13–6–2012 से निरस्त किया गया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–12 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका कमांक 8488/2011 में पारित न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 – व्याप्ति – राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पुनरीक्षण में पारित आदेश – ऐसे आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण – राजस्व मण्डल को सुनवाई का अधिकारी है । यह भी कहा गया कि शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा किया गया था अतः स्व0श्री हरीशंकर आवेदक के दादा द्वारा अन्य शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2114 रकवा 7 विस्वा भूमि स्थित भूमि ग्राम बाचरौन से शासकीय भूमि से अदला–बदली का आवेदन वर्ष 2006 में प्रस्तुत किया था जिसे कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण

में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 16–49/2010/सात/2/ए दिनांक 12–9–2011 के आधार पर आवेदक का प्रकरण निरस्त किया है जबकि आवेदक का प्रकरण वर्ष 2006 का है इस कारण आदेश में वर्णित उपरोक्त आधार प्रकरण में लागू नहीं होता है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक का भूमि विनिमय का आवेदन पत्र मध्यप्रदेश राजस्व विभाग मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 12–09–2011 अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 3 की कंडिका 20 का प्रतिस्थापन करते हुये कंडिका 20 (ए) के प्रावधानों के आधार पर निरस्त किया है जबकि आवेदक का प्रकरण इसके पूर्व का होने से मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा पत्र कमांक 1050/2635/06/सात/2–ए भोपाल दिनांक 24–6–2006 के अनुसार आवेदक की भूमि अदली–बदली करने के संबंध में कलेक्टर जिला शिवपुरी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षकर कर नियमानुसार अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया था । कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश शासन को प्रस्ताव नहीं भेजकर आदेश पारित करने में न्यायिक त्रुटि की है, अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–12 विधिवत् नहीं होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण को कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 24–6–2006 के अनुसार

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भिजवाकर प्राप्त दिशा निर्देशों के पालन में आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर